राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड़ मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालयः– 4, मीरा मार्ग, उदयपुर – 313 001

रजि. कार्यालयः– सी–89–90, लाल कोठी स्कीम जयपुर, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763-67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in. Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएम / सीओ / पर्स / 6(15) / 2015 / 859 दिनांकः– 07/01/2022

–:परिपत्रः–

विषयः– आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियो द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR M0DULE द्वारा ऑन– लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 30.12.2021 के अनुसार प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियो को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबन्ध में इन बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें।

1. हर वर्ष की भांति आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी 2022 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रुप से भरा जाना है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE मोड्यूल को बन्द कर दिया जावेंगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगें।

2. आरएसएमएमएल के जो अधिकारी / कर्मचारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना उपर्युक्त समय सीमा में नही भरेगें / प्रस्तुत नही करेंगें ,उन्हे राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 30.12.2021 एवं आरएसएमएमएल के पूर्व के परिपत्रांक आरएसएमएम / सीओ / पर्स / 6(15) / 2015 / 1050 दिनांक 25.01.2021 एवं आरएसएमएम / सीओ / पर्स / 6(15) / 2015 / 233 दिनांक 02.07.2021 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उनकों विजिलेंस क्लियरेंस नही दी जावेंगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।

3. आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन IPR MODULE भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में इस परिपत्र के साथ संलग्न गाईड–लाईन एवं यूजर मेन्यूअल प्रपत्र का अवलोकन करें, एवं कठिनाई होने पर विस्तृत जानकारी हेतु श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर से सम्पर्क कर सकते है।

अतः आरएएमएमएल के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

(डॉ. तुलसीराम अग्रवाल)रा.ले.से.
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय।
2. वित्तिय सलाहकार, आरएसएमएमएल, सी.ओ. उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक / प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू–पीसी लिग्नाईट / लाईमस्टोन / जिप्सम / रॉक फॉस्फेट एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर / देहली / कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें। DGM (IT)
4. श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक (आई.टी.),
5. सम्बन्धित पत्रावली / गार्ड पत्रावली / संबंधित नोटिस बोर्ड।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)